273

संख्या– 981 /IV(2)-श0वि0–2015–34(सा0)/07

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम,
देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक : 14 अगस्त, 2015

विषयः– **टीचर्स कालोनी, गोविन्दगढ़, देहरादून के आवंटियों के पक्ष में भूमि/भवन फ्री–होल्ड किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिए गए हैंः–

(1) टीचर्स कालोनी, गोविन्दगढ़, देहरादून स्थित नगर निगम, देहरादून की भूमि पर अध्यासित ऐसे मूल आंवटियों, जिनके पास आवंटन से अधिक भूमि/भवन पर अध्यासन/कब्जा है, को वर्तमान प्रचलित सर्किल रेट के दोगुनी दर पर भूमि/भवन को फ्री–होल्ड किये जाने की कार्यवाही की जाय।

(2) उक्त कालोनी में मूल आवंटियों के अतिरिक्त अन्य कब्जाधारकों, जिनको मूल आवंटियों द्वारा विक्रय/कब्जा हस्तगत कराया गया है, को भूस्वामित्व/फ्री–होल्ड वर्तमान सर्किल रेट की दोगुनी दरो पर किए जाने की कार्यवाही की जाय।

(3) उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त कालोनी में मूल आवंटी/मूल आवंटियों द्वारा विक्रय/कब्जा की वाणिज्यिक भूमि/भवनों को वर्तमान सर्किल रेट के चार गुनी दरो पर फ्री–होल्ड किए जाने की कार्यवाही की जाय।

उपरोक्त कार्यवाही 06 माह के अन्दर पूर्ण की जानी सुनिश्चित की जायेगी। मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून जिलाधिकारी से समन्वय करते हुये प्रश्नगत् अध्यासियों की भूमि/भवन आदि का 'डिजिटल मैप तैयार किया जायेगा तथा नगर निगम की अवशेष भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जायेगा।

(4) उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग की निकायों के अधीन अनाधिकृत कब्जों के सम्बन्ध में 06 माह के अन्दर सर्वे कराकर यथाप्रक्रिया विधेयक के रूप में विनियमितिकरण का प्रस्ताव शासन में प्रस्तुत किया जायेगा। इसके साथ ही राजस्व विभाग द्वारा नगर निकाय की भूमि को छोड़ते हुये अन्य शासकीय विभागो की भूमि/भवनों पर किये गये अनाधिकृत कब्जों के सम्बन्ध में 06 माह के अन्दर सर्वे कराकर यथाप्रक्रिया के विधेयक के रूप में विनियमितिकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या– 98//IV(2)-श0वि0–2015–34(सा0)/07, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, देहरादून।
8. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।